भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1591
01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

घरेलू इस्पात उद्योग पर बीआईएस अधिसूचना का प्रभाव और संक्रमणकालीन राहत उपाय

1591. श्री संजय सिंहः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 13 जून 2025 की अधिसूचना जारी करने से पहले घरेलू इस्पात उद्योग और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर विचार किया है, जिसमें अधिसूचना जारी करने और लागू करने के बीच केवल एक दिन का अंतराल रखते हुए इनपुट सामग्रियों के लिए बीआईएस अनुपालन अनिवार्य किया गया है, और क्या परिचालन व्यवधान को कम करने के लिए किसी संक्रमणकालीन राहत की योजना बनाई जा रही है; और

(ख) वर्ष 2023-24 में कच्चे इस्पात का उत्पादन 144.3 मिलियन टन रहने के परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के अंतर्गत वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन कच्चे इस्पात उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार के क्या दिशानिर्देश हैं और आगामी पाँच वर्षों में उत्पादन क्षमता को दोगुना करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 13 जून 2025 के स्पष्टीकरण का उद्देश्य घरेलू इस्पात उद्योगों और विदेशी विनिर्माताओं के बीच समानता लाना है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की दिनांक 11 जुलाई, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से, दिनांक 13 जून, 2025 की अधिसूचना के संबंध में निम्नलिखित छूट प्रदान की गई हैं:-

(i) दिनांक 15 जुलाई, 2025 या उससे पहले ऑनबोर्ड की तारीख पर भेजे गए बिल ऑफ लैडिंग के साथ इस्पात उत्पादों के आयात के लिए इनपुट स्टील की अनिवार्य अनुपालन आवश्यकता में छूट दी गई है।

(ii) एकीकृत इस्पात संयंत्रों (आईएसपी) द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले अंतिम उत्पादों के लिए इनपुट स्टील की अनिवार्य अनुपालन आवश्यकता को बीआईएस द्वारा ऐसे लाईसेंसो के सत्यापन के बाद छूट दी जाएगी।

जारी.....2/-

(ख) सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में परिकल्पित 300 मिलियन टन क्रूड इस्पात उत्पादन के लक्ष्य को वर्ष 2030-31 तक प्राप्त करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।
ii. देश के भीतर 'विशिष्ट इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजी निवेश को आकर्षित कर आयात को कम करने हेतु विशिष्ट इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरूआत करना।
iii. केंद्रीय बजट में अवसंरचना के विस्तार पर जोर देना।
iv. इनपुट लागत को कम करने के लिए फेरो-निकल और फेरस स्क्रैप जैसे कच्चे माल के आयात पर मूल सीमा शुल्क में अंशांकन करना।

*****